वारदात के बाद से फरार हो गया था आरोपित, पिस्टल व कारतूस जब्त

प्रेमिका की मां पर कातिलाना हमला करने वाले नाबालिग आरोपित को किया गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के पड़वार गांव में प्रेमिका की मां को मामूली विवाद पर गोली मारने वाले नाबालिग आरोपित को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित नाबालिग सिहोरा के हिरन नदी पुल के पास भागने के लिए वाहन के इंतजार में खड़ा था। उसी दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपित को पकड़ लिया। उसके पास से देशी पिस्टल भी जब्त की गई है।

एसडीओपी स्लीमनाबाद अखिलेश गौर ने बताया कि 12 मई को पड़वार गांव में प्रेमी ने प्रेमिका की मां को उस समय गोली मार दी थी, जब वह एक्सीडेंट में घायल होने पर उसे देखने गई थी। आरोपित नाबालिग का महिला की बेटी के साथ प्रेम संबंध था। महिला के साथ उसकी बेटी भी आरोपित को देखने गई थी। उसी दौरान वह बेटी को देखरेख करने के लिए छोड़कर जाने की जिद करने लगा और महिला ने इस बात से इंकार किया तो किशोर ने देशी पिस्टल निकालकर महिला पर फायर कर दिया था। जिसमें गोली उसके सीने के पास लग गई थी। महिला का उपचार जबलपुर में चल रहा है, जहां उसकी हालत में सुधार है। घटना के बाद आरोपित फरार हो गया था जिसको लेकर थाना प्रभारी स्लीमनाबाद अखिलेश दाहिया की अगुवाई में तीन टीमों का गठन किया गया था और उसकी तलाश की जा रही थी। बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित सिहोरा के हिरन नदी पुल पास खड़ा है और कहीं भागने के फिराक में है। जिसके चलते टीम मौके पर रवाना की गई। पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया।

पुलिस ने आरोपित से पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि घटना के बाद वह भागकर गांव के जंगल के पास चला गया था। जंगल में सागौन प्लांट में बनी पानी की टंकी के पास लगे महुआ के पेड़ के नीचे खोदकर उसने पिस्टल मिट्टी के नीचे दबा दी थी। पुलिस ने जंगल से देशी पिस्टल व कारतूस जब्त किया है। वहीं आरोपित ने पुलिस को बताया कि उसने देशी पिस्टल लगभग दो साल पूर्व जबलपुर से खरीदी थी।

कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी अखलेश दाहिया, उनि संतराम यादव , काशीराम झारिया , सउनि बी एम चौधरी प्र.आर. अंजनी मिश्रा , तेजप्रकाश सिह , आशीष आर्मो , अंकित दुबे , जय सिह आर. मनीष पटेल , रजनीश , बृजेश , सोने सिह ,अभिषेक राजावत , राजा साहू , सौरभ पटेल की विशेष भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक व्दारा टीम को नगद ईनाम देने की घोषणा की गयी है ।

बीते 24 घंटों में जिले में 4.8 मिमी दर्ज हुई वर्षा

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

जिले में 1 जून से 2023 से 15 मई 2024 तक कुल 1121 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है जबकि गत वर्ष इसी अवधि में कुल 998.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। इस प्रकार वर्ष 2024 में अब तक कुल 122.5 मिलीमीटर अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 जून से 15 मई 2024 तक जिले के तहसील वार वर्षा मापी केन्द्र कटनी में 1225.2 मिलीमीटर, रीठी में 1145.4 मिमी, बड़वारा में 1145.0 मिमी, बरही में 1145.0 मिमी, विजयराघवगढ़ में 1013.1 मिमी, बहोरीबंद में 870.9 मिमी, स्लीमनाबाद में 1314.2 मिमी और वर्षामापी केन्द्र ढीमरखेड़ा 1206.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

अधीक्षक भू- अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी अनुसार जिले में बीते 24 घंटे में जिले की सभी तहसीलों के वर्षामापी केन्द्रों मे 4.8 मिमी वर्षा दर्ज हुई। जिसमें कटनी तहसील अंतर्गत 2.0 मिमी, रीठी तहसील में 2.0 मिमी, बड़वारा तहसील में 13.0, बरही तहसील में 0.0 मिमी, विजयराघवगढ़ तहसील में 20.0 मिमी, बहोरीबंद तहसील में 0.0 मिमी, स्लीमनाबाद तहसील में 0.0 मिमी और ढीमरखेड़ा तहसील में 1.0 मिमी वर्षा रिकॉर्ड हुई है।

मुहांस की दान पेटियों की राशि की गणना आज

कटनी। तहसील रीठी के ग्राम मुहांस स्थित सार्वजनिक श्री हनुमान जी महाराज मंदिर ट्रस्ट की दान पेंटियों की दान राशि की गणना के संबंध में विगत दिवस आयोजित बैठक के दौरान ट्रस्टीगणों द्वारा सर्व सम्मति से लिये गए निर्णय अनुसार 16 मई 2024 को गणना की जानी है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रीठी ने सार्वजनिक श्री हनुमान जी महाराज मंदिर ट्रस्ट मुहांस तहसील रीठी के समस्त ट्रस्टीगण को गुरूवार 16 मई को प्रातः 11 बजे हनुमान जी महाराज मंदिर मुहांस में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने हेतु सूचित किया है।

खबर संक्षेप

बिना दस्तावेज वाहन चलाने पर काटे चालान

कटनी। यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे के नेतृत्व में मिशन चौक पर सघन जांच की गई। इस दौरान एक सैकड़ा ई रिक्शा वाहनों के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया गया। यातायात विभाग की इस कार्यवाही से हड़कंप की स्थिति निर्मित रही। यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे ने बताया कि जांच में बहुत से ई रिक्शा चालक ऐसे मिले जो कि बिना दस्तावेज के ही शहर में फर्राटा भर रहे थे। कई ई रिक्शा चालकों के द्वारा यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही थी। ऐसे सभी वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनसे जुर्माना वसूल किया गया। यातायात थाना प्रभारी श्री पांडे ने कहा कि ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्यवाही का क्रम आगे भी जारी रखा जाएगा।

दो कैप्सूल वाहनों पर 12 हजार रूपए लगाया जुर्माना

कटनी। जुहला बाईपास चौकी द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 2 कैप्सूल वाहन (बल्कर) क्रमांक MP 19 HA 0978 एवं MP 19 HA 3071 को रोककर चेक किया गया। जिसमे दोनों 22 चका वाहनों में केवल 18-18 चके लगे पाए गए। रजिस्ट्रेशन चेक करने पर दोनों वाहनों मे एक-एक एक्सेल कम लगा कर रजिस्ट्रेशन शर्तों का उल्लंघन कर यान में परिवर्तन करना पाया गया। जिस पर वाहन को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षार्थ थाना NKJ में खड़ा कराया गया एवं प्रत्येक कैप्सूल वाहन का मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के अन्तर्गत 6 हजार इस प्रकार कुल 12 हजार रुपये का चालान बनाया गया। वाहन चेकिंग के दौरान चौकी प्रभारी जुहला बाईपास सूबेदार मोनिका खड़से, सउनि राजेश कोरी, आरक्षक दीपक चक्रवर्ती एवं डूमन दास उपस्थित रहे।

एवरेस्ट कंपनी के कबाड़ में लगी आग

कटनी। कैमोर में स्थित एवरेस्ट कंपनी के कबाड़ में मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात अचानक आग लग गई। आग लगने से कबाड़ और वहां पर लगे काफी संख्या में पेड़-पौधे जल गए है। आग लगने की सूचना मिलते ही मौक पर कैमोर नगर परिषद के सीएमओ धर्मेन्द्र शर्मा अपने कर्मचारियों सहित मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड कर्मियों के सहयोग से आग बुझाना शुरू की गई है। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने से किसी तरह की जनहानी नहीं हुई है। कैमोर नगर परिषद के सीएमओ धमेन्द्र शर्मा ने बताया कि रात करीब दो बजे एवरेस्ट कंपनी के कबाड़ में आग लग गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर फायर बिग्रेड भेजी गई। करीब आधे की आग बुझाने की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से कबाड़ और वहां पर लगे पेड़-पौधे जल गए हैं। किसी तरह की जनहानी नहीं हुई है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर आग लगी थी उससे करीब 30 फीट की दूरी पर नगर परिषद भवन और सीएमओ आवास भी है, इसके अलावा लगभग 35 फीट की दूरी पर एक स्कूल भी है।

कक्षा 5 एवं 8 की पुनः परीक्षा 3 जून से

कटनी। स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 5 और 8 की पुनः परीक्षा सत्र 2023-24 के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कक्षा 5 और 8 की पुनः परीक्षा 3 जून से 8 जून के मध्य होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र ने प्रोजेक्ट कार्य के अंकों की प्रविष्टि के संबंध में कहा है कि ऐसे परीक्षार्थी, जो अनुत्तीर्ण हो गये हों या अनुपस्थित रहे हों, उन छात्रों के प्रोजेक्ट कार्य का अनिवार्य रूप से पूरा कर मूल्यांकन किया जाये। इन कक्षाओं के पुनः परीक्षा केन्द्र जन शिक्षा केन्द्र पर ही निर्धारित किये जायें। छात्रों की संख्या 500 से अधिक होने पर दूसरा परीक्षा केन्द्र राज्य शिक्षा केंद्र की अनुमति से बनाया जा सकेगा। निर्देशों में कहा गया है कि परीक्षा केन्द्र तक परीक्षार्थियों को पहुँचाने का दायित्व संबंधित शाला प्रमुख और शिक्षकों का होगा।

कलेक्टर के निर्देश के बाद निराकरण में आई तेजी

एक हजार से अधिक सीमांकन प्रकरणों का निबटारा, ढीमरखेड़ा तहसील अग्रणी

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

जिले में कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर लंबित सीमांकन प्रकरणों के निराकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान में तेजी आई है। मैदानी राजस्व अमला और राजस्व अधिकारियों के सद्प्रयासों की वजह से अभियान के दौरान अब तक 1118 सीमांकन प्रकरण निपटाये जा चुके है। अभी भी यह कार्य सतत रूप से जारी है।

कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा राजस्व अधिकारियों को आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज लंबित सीमांकन प्रकरणों को समय-सीमा में प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश दिए गये थे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि वर्तमान में खेतों से फसल की कटाई हो जाने से खेत खाली है। जिससे सुविधाजनक ढंग से सीमांकन कार्य किया जा सकता है। कलेक्टर के निर्देश के बाद जिले में सीमांकन प्रकरणों के निराकरण की दिशा में हुई कारगर पहल की वजह से इसके निराकरण में तेजी आई है।

कलेक्टर हर दिन कर रहे समीक्षा

कलेक्टर और अपर कलेक्टर सीमांकन प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा करते है। सीमांकन प्रकरणों के निपटारे में आई तेजी की वजह से बड़ी संख्या में किसान भाइयों से सीमांकन के आवेदन प्राप्त हो रहे है।

संतुष्टि के साथ हो रहा सीमांकन

कलेक्टर के निर्देश पर संचालित विशेष अभियान के तहत निराकृत सीमांकन प्रकरणों के प्रति किसानों का भरोसा बढ़ा है। निराकृत प्रकरणों का आर.सी.एम.एस. पोर्टल में दर्ज मामलों पर किसान भी खुश है।

कलेक्टर के निर्देश के बाद सीमांकन प्रकरणों के निराकरण के मामले में जिले की तहसीलों में ढीमरखेड़ा तहसील 200 सीमांकन प्रकरणों का निराकरण कर अव्वल स्थान पर है। जबकि कटनी नगर 139 मामलों के निपटारे के साथ दूसरे स्थान पर है और बरही तहसील ने 119 सीमांकन प्रकरणों का निपटारा कर तीसरे पायदान पर है। इसी प्रकार विजयराघवगढ़ तहसील में 117 सीमांकन प्रकरण निपटाये गये। इस प्रकार विजयराघवगढ़ तहसील सीमांकन प्रकरणों के निराकरण के मामले में जिले में चौथे स्थान पर है।

जिले की रीठी तहसील 115 सीमांकन प्रकरण निपटाकर पांचवें, बड़वारा तहसील 114 सीमांकन प्रकरण निराकृत कर छठवें पायदान पर और स्लीमनाबाद तहसील 112 सीमांकन प्रकरण के निपटारे के साथ सातवें और कटनी तहसील 110 प्रकरण निराकृत कर आठवें स्थान पर है। जबकि बहोरीबंद तहसील 92 प्रकरणों के निपटारे के साथ अंतिम पायदान पर है।

जिले में खनिज माफियाओं के विरूद्ध लगातार हो रही कार्रवाई

मुरूम और रेत के अवैध उत्खनन पर लगाया साढ़े 5 लाख का अर्थदंड व प्रशमन शुल्क

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

कलेक्टर अवि प्रसाद ने खनिज मुरूम और रेत के अवैध उत्खनन के कटनी एवं विजयराघवगढ़ तहसील के दो अलग-अलग मामलों को मिलाकर 5 लाख 54 हजार 390 रूपये का अर्थदंड और प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया है। इस प्रकार जिले में खनिज माफिया के विरूद्ध कार्यवाही का सिलसिला अनवरत जारी है।

कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा अर्थशास्ति और प्रशमन शुल्क लगाया है। खनिज मुरूम के 300 घन मीटर के अवैध उत्खनन के लिए अरविंद सिंह बब्लू राजा पिता आनंद सिंह निवासी शाहनगर पन्ना द्वारा ग्राम अमराडांड तहसील कटनी के खसरा नंबर 218 रकवा 10.55 हेक्टेयर भूमि के अंश भाग पर अवैध उत्खनन किया गया। कलेक्टर न्यायालय द्वारा 300 घन मीटर अवैध उत्खनित मुरूम की रायल्टी राशि 15 हजार रूपये की अर्थशास्ति 2 लाख 25 हजार रूपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति 2 लाख 25 हजार रूपये को मिलाकर 4 लाख 50 हजार रूपये और प्रशमन शुल्क के रूप में एक हजार रूपये जमा करने का आदेश दिया है।कलेक्टर न्यायालय ने विजयराघवगढ़ तहसील में अवैध उत्खनन के एक अन्य मामले में सुनील परौहा पिता सुरेन्द्र परोहा खसरा नंबर 1 रकवा 8.770 हेक्टेयर भूमि के अंश भाग पर खनिज रेत कुल 27.3 घनमीटर की रायल्टी राशि 3413 रूपये की अर्थशास्ति 51 हजार 195 रूपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति 51 हजार 195 रूपये को मिलाकर कुल एक लाख 2 हजार 390 रूपये की राशि और एक हजार रूपये का प्रशमन शुल्क जमा करने का आदेश पारित किया है। दोनों मामलों में जुर्माने की राशि जमा भी कर दी गई है।

अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चकाजाम प्रदर्शन

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

मेला मैदान और सरकारी अस्पताल में अवैध कब्जा हटाने को लेकर कन्हवारा में आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे तक ग्रामीण सड़क पर नारेबाजी करते हुए बैठे रहे, बाद में हल्का बल प्रयोग करते हुए पुलिस ने किसी तरह ग्रामीणों को सड़क से हटाया और आवागमन शुरू हो सका। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने नारे बाजी करते हुए मंदिर पहुंच मार्ग खाली करवाने आवाज बुलंद की। प्रदर्शन करियों ने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।

गौरतलब है कि तीन दिन पूर्व कन्हवारा के लोगों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कब्जा खाली कराने की मांग की थी। ज्ञापन सौंपने के दौरान लोगों ने यह भी कहा था कि यदि दो दिन के अंदर कब्जा नहीं हटाया जाता तो वे चक्का जाम करेंगे। ग्रामीणों द्वारा दो दिन पूर्व दी गई चेतावनी के अनुसार बुधवार को उन्होंने चक्का जाम कर दिया। बुधवार को भी स्थानीय लोगों ने कलेक्टर के नाम नायक तहसीलदार को ज्ञापन सोपा है। जिसमें उन्होंने चेताया है की अगर 10 दिनों के अंदर कब्जा खाली नहीं करवाया गया तो ग्रामीण जन सामूहिक आत्मदाह करने विवश होगे। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी।

प्रदर्शन के दौरान दुर्गा पांडे, पुरुषोत्तम कुशवाहा, अंगद बर्मन, जियालाल, धान बाई कुशवाहा, ममता बाई, अनुज पांडे, कारी गोंटियां, चंद्रभान, धन्नी बर्मन, सुत्ता बर्मन, कोदू, सूरज, आदि भारी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रहीं।

आबकारी अमले ने बरही क्षेत्र के ग्रामों में की कार्यवाही

64 हजार रूपए की अवैध मदिरा एवं लाहन जब्त, 10 प्रकरण किये पंजीबद्ध

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन, विक्रय और निर्माण रोकथाम हेतु आबकारी विभाग द्वारा निरंतर विशेष अभियान चलाया जाकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी आर.के.बघेल के निर्देशन में मंगलवार को चलाये गए विशेष अभियान के तहत आबकारी वृत्त बड़वारा, बहोरीबंद और ढीमरखेड़ा के संयुक्त मार्गदर्शन में बरही क्षेत्र के समीपवर्ती ग्रामों करौदी खुर्द, बुजबुजा, गढौहा, खितौली, मैदकीपार, करेला, डूडी और भटवां में मदिरा का अवैध रुप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत

दबिश की कार्यवाही की गई। इस दौरान आबकारी की टीम द्वारा 600 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 14 लीटर अबैध हाथ भट्टी मदिरा तथा 103 पाव देशी मदिरा की जब्ती की कर्यवाही की गई। जब्त किये गये लाहन तथा मदिरा का अनुमानित मूल्य लगभग 64 हजार रूपये है।

दबिश की कार्यवही के दौरान 10 न्यायालयीन प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा के पंजीबद्ध किये गये तथा मौके पर महुआ लाहन का सैंपल लिया जाकर नष्ट किया गया।

कार्यवाही में ये रहे शामिल

दबिश की कार्यवाही के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी आबकारी उपनिरीक्षक मोना दुबे, महेन्द्र शुक्ला, एस.डी सिह, कृष्ण कुमार पटेल, केशव प्रसाद उईके आबकारी आरक्षक शिवमूरत नामदेव, राजेश गौटिया, चन्द्र प्रकास त्रिपाठी, सम्मिलित रहे। जिला आबकारी अधिकारी श्री बघेल ने बताया कि जिले में इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

अपर कलेक्टर ने कान्हा डेयरी फर्म पर की बड़ी कार्यवाही

अवमानक खाद्य सामग्री के विक्रय पर 1 लाख रुपये का जुर्माना

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही का सिलसिला सतत रूप से जारी है। जिसमें प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने, जुर्माना अधिरोपित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती साधना परस्ते ने अमानक खाद्य सामग्री के विक्रय पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की के तहत नई बस्ती स्थित फर्म पर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में अनावेदक अनावेदक अमित सुंदरानी पिता श्री रमेश सुंदरानी निवासी नई बस्ती फर्म कान्हा डेयरी पर अवमानक दही एवं पनीर का विक्रय करने पर 1 लाख रूपए का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में अनावेदक को उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्धारित हैडों में खाद्य अपमिश्रण एवं औषधि नियंत्रण के अंतर्गत लाइसेंस फीस अर्थदंड आदि के खाते में 30 दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति न्यायालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए है।

यह है प्रकरण

खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी द्वारा 9 जून 2023 को नई बस्ती स्थित कान्हा डेयरी में सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायत के आधार पर निरीक्षण की कार्यवाही संचालन की उपस्थिति में की गई। निरीक्षण के दौरान मौके पर दूध, दही, पनीर वगैरह संग्रह कर विक्रय करते पाए गये। उक्त व्यवसाय का थैP के अंतर्गत लाइसेंस पाया गया।

विक्रय किये जा रहे दूध, दही एवं पनीर में मिलावट की आशंका होने पर अमूल पैक्ड मिल्क, दही एवं पनीर मानक स्तर की जॉच हेतु नियमानुसार नमूना संचालक अमित सुंदरानी पिता रमेश सुंदरानी के समक्ष लिया जाकर समस्त कार्यवाही का पंचनामा बनाकर गवाह एवं विक्रेता को पढाकर हस्ताक्षर लिए जाकर नमूना सील बंद पैकेट में खाद्य विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया।

कार्यालय अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन कटनी ने अपने पत्र के साथ दही एवं पनीर के नमूने का जांच प्रतिवेदन प्रेषित कर उक्त नमूने अवमानक पाया जाना सूचित किया। अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण में आवश्यक विवेचना कर संबंधितों के विरुद्ध समस्त मूल तथा अन्य दस्तावेज अभियोजन की अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कार्यालय अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला-कटनी के पत्र द्वारा उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रेषित करते हुये प्रकरण को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।

प्रकरण में अवमानक दही एवं पनीर का विक्रय करने कारण आवेदक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 सहपठित धारा 51 का उल्लंघन पाये जाने पर लोक स्वास्थ्य हित में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जुर्माने से दण्डित करने का अनुरोध किये जाने पर

प्रकरण पंजीबद्ध कर उभय पक्षों को सुनवाई की गई। अनावेदक ने अपने पक्ष समर्थन में कथन प्रस्तुत किया कि जांच में मेरे द्वारा विक्रय जाने वाले पदार्थ अवमानक स्तर के पाए गए। मेरे तरफ से चूक हुई, मुझे क्षमा करके एक मौका देने की कृपा करें।

आवेदक ने अपने परिवाद के साथ दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं, जिससे परिवाद सिद्ध होना तथा दोषी होना पाया गया। इस दौरान अनावेदक द्वारा परिवाद झूठा एवं निराधार ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकने के कारण न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा अनावेदक को एक लाख रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

बेदखली आदेश के बाद भी नही हटाया गया अतिक्रमण

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

जनपद अंतर्गत गणेशपुर ग्राम पंचायत स्थित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 01 में ग्राम गणेशपुर निवासी बलराम पटेल पिता सेवा लाल पटेल द्वारा अतिक्रमण किया गया है जिसकी शिकायत ग्राम पँचायत गणेशपुर के सरपंच पुष्पराज सिंह के द्वारा न्यायालय तहसीलदार बड़वारा के समक्ष की गई है जिसके परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार बड़वारा के द्वारा रा0 प्र0 क0 0005/ अ - 68/23-24 दिनांक 23.03.2023 को बेदखली का आदेश जारी किया जा चुका है। आदेश में पटवारी हल्का नम्बर 22 को राजस्व निरीक्षक के साथ जाकर आंगनवाड़ी केंद्र परिसर में बलराम पटेल पिता सेवा लाल पटेल द्वारा किये गए अतिक्रमण को हटवाने तथा बेदखली आदेश का पालन करवाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को

लिखा गया है। बेजा कब्जा धारी व्यक्ति द्वारा कब्जा न हटाने की स्थिति में पुलिस बल के सहयोग से बलपूर्वक कब्जा हटवाने के लिए आदेशित किया गया है किन्तु आज भी बेजाकब्जा धारी व्यक्ति द्वारा दबंगई से किये गए कब्जे को नही हटवाया जा सका। पत्र के माध्यम से ग्राम सरपंच ने आंगनवाड़ी केंद्र परिसर में किये गए अतिक्रमण को हटाये जाने की मांग की है।

खबर संक्षेप

खेत में दवा डाल रहे युवक की सर्पदंश से मौत

ढीमरखेड़ा। उमरियापान थाना क्षेत्र में मंगलवार को खेत में दवा डाल रहे एक युवक की सर्पदंश से मौत हो गई है। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी है। प्रधान आरक्षक योगेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि उमरियापान के नई बस्ती निवासी बैजनाथ पिता बद्री प्रसाद चक्रवर्ती (40) टोला हार में अपने खेत में बोई उड़द की फसल में दवा डाल रहा था। इसी दौरान जहरीले सर्प ने डस दिया। घर पहुँचकर युवक ने परिजनों को जानकारी दी।जिसके बाद परिजनों ने उपचार के लिए उमरियापान अस्पताल में भर्ती कराया। कहा उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुँची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।

आंधी तूफान से पलटा आटो, 4 लोग हुए घायल

कटनी। कुठला थाना अंतर्गत इंद्रा नगर क्षेत्र में गत शाम तेज आंधी की चपेट में आया सवारियों से भरा ऑटो पलटने से 4 लोग घायल हो गए। घायलों इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार गत शाम तेज आंधी तूफान के दौरान इंद्रा नगर से गुजर रहा ऑटो आंधी के कारण पलट गया। ऑटो में 4 लोग सवार थे जिसमें महिलाएं पुरुष और बच्चे शामिल है। अचानक ऑटो पलटने के कारण दिलीप सिंह, रेखा सिंह नीलू सिंह सभी निवासी इंद्रा नगर घायल हो वही ऑटो सवार बच्चों को मामूली चोटें आई है। घायलो को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया जहां उनका इलाज जारी है।

कछारी मोड़ में सड़क में भवन निर्माण सामग्री

बड़वारा। तहसील क्षेत्र के कछारी पंचायत मोड़ में कुछ लोगों के द्वारा सड़क पर ही मकान निर्माण में लगने वाली सामग्री रेत, ईंट, गिट्टी रख दी गई है जिसके चलते राहगीरों के साथ ही वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हादसों को रोकने के लिए ब्रेकर बनाये तो गए किन्तु आधे अधूरे ब्रेकर बनाये गए हैं। मसलन सड़क के एक छोर से ब्रेकर बनाकर सड़क के मध्य में बनाकर आधा अधूरा छोड़ दिया गया जिससे वाहन चालक अक्सर स्लिप होकर गिर पड़ते हैं। स्थानीय जनों ने शासन प्रशासन से कछारी मोड़ में लोगों के द्वारा रखी गई रेत,गिट्टी को शीघ्र ही हटवाने की मांग की है। सड़क में बनाये गए आधे अधूरे ब्रेकरों को पूरे बनवाने की मांग की है। जिससे दुर्घटना घटित होने से रोकी जा सके।

20 हजार ईनाम घोषित

कटनी। हत्या के मामले में लंबे समय से फरार किस्सू उर्फ किशोर तिवारी के ऊपर घोषित किए गए इनाम की राशि को दोगुना कर दिया गया है। आरोपी लंबे समय से फरार रहने पर एसपी ने गिरफ्तारी हेतु 10 हजार रुपए इनाम की उद्घोषणा की गई थी। उक्त इनाम को बढ़ाकर पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज द्वारा 20 हजार के नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

नालंदा विद्यालय वापस करेगा 195 छात्रों को सवा दो लाख रूपये

मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ कलेक्टर ने की कार्यवाही, दो लाख का जुर्माना भी लगा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

कलेक्टर अविप्रसाद द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि तथा पालकों और अभिभावकों को निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने के लिए बाध्य करने वाले निजी स्कूलों के प्रबंधन के विरुद्ध की गई कार्यवाही का अब व्यापक असर दिखने लगा है। कलेक्टर द्वारा छात्रों और पालकों के हित में मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम एवं नियम के तहत निजी स्कूल नालंदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिंझरी को दिये गये नोटिस के बाद अब शाला प्रबंधन 195 विद्यार्थियों से अधिक फीस के रूप में वसूली गई करीब सवा दो लाख रुपए की राशि वापस करने जा रहा है। यह प्रदेश का ऐसा पहला मामला है जहाँ कोई निजी स्कूल प्रबंधन जिला प्रशासन की सख्त कार्यवाही के कारण विद्यार्थियों से वसूल की गई बढ़ी फीस वापस करने जा रहा है। कलेक्टर श्री प्रसाद ने इस निजी स्कूल द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम एवं नियम का उल्लंघन पाये जाने पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

प्रदेश के इतिहास में यह पहला प्रकरण है जब किसी कलेक्टर द्वारा की गई सख्त कार्रवाई के बाद निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों के पालकों और अभिभावकों से ली गई अधिक फीस की राशि वापस की जा रही है। इसमें से कुछ अभिभावकों को तो अधिक फीस के तौर पर शाला प्रबंधन द्वारा वसूले गए करीब 12 हजार रुपए तक की फीस वापस मिलेगी।

फीस वृद्धि में नियमों का उल्लंघन

नालंदा उ.मा.वि. झिंझरी के शाला प्रबंधन द्वारा म.प्र. निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम एवं नियम का उल्लंघन करते हुये कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला समिति से बिना अनुमोदन कराये 10 प्रतिशत से अधिक की फीस वृद्धि कर दी।

नियम के अनुसार निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक किन्तु, 15 प्रतिशत या उससे कम है, तो जिला समिति से अनुमोदन करना अनिवार्य है। साथ ही पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में यदि 15 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी की जाती है तो जिला समिति के माध्यम से राज्य समिति से अनुमोदन का प्रावधान है। जिसका शाला प्रबंधन द्वारा उल्लंघन किया गया।

10 प्रतिशत से अधिक ली गई फीस करेंगे वापस

कलेक्टर श्री प्रसाद की अध्यक्षता वाली जिला समिति के समक्ष नालंदा उ.मा.वि. झिंझरी के प्राचार्य ने सत्र 2021-22 में छात्रों से 10 प्रतिशत से अधिक की फीस वृद्धि की वसूली की गई राशि संबंधित छात्रों को वापस करने का वचन दिया। शाला प्राचार्य ने बताया कि 195 विद्यार्थियों से अधिक फीस के तौर पर वसूले गये 2 लाख 15 हजार 835 रूपये की राशि शीघ्र ही छात्रों को वापस कर दी जायेगी।

निजी प्रकाशकों की किताबें

निजी स्कूल के शाला प्रबंधन द्वारा राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल की संबद्धता बोर्ड अथवा परीक्षा निकाय के विनियमों के तहत पुस्तकों के निर्धारण करने के संबंध में जारी आदेश का भी उल्लंघन किया गया है। साथ ही छात्रों, पालकों और अभिभावकों को निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने बाध्य किया गया, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति पहुँची। शाला प्रबंधन ने कलेक्टर को लिखित में बताया कि स्कूल में अब निजी प्रकाशकों की पुस्तकें बंद कर दी गई हैं। कलेक्टर श्री प्रसाद ने निजी स्कूल नालंदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिंझरी द्वारा मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन, नियम एवं शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर दो लाख रूपये की राशि अधिरोपित कर 15 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है।

बांधा मंदिर में भंडारे के साथ भागवत कथा का समापन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

राधाकृष्ण मंदिर लघु वृंदावन धाम बांधा में श्रीधाम वृंदावन से पधारे विद्वान आचार्य अखिलेश चतुर्वेदी के द्वारा व्यासपीठ से गाई गई श्रीमद्भागवत कथा भव्य भंडारे के साथ संपन्न हुई। भंडारा प्रसाद की महिमा के संदर्भ में आचार्य ने कहा कि जिस अन्न में परोपकार, प्रेम एवं मानव कल्याण का भाव होता है वह भोजन ही भगवान का भोग बन जाता है और उसे प्राप्त करने वाला प्राणी भाग्यशाली होता है। श्री राधाकृष्ण सेवा समिति द्वारा प्रेषित जानकारी अनुसार कथा सप्ताह के अंतर्गत मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक, ग्यारह बार सामूहिक श्री हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान राधाकृष्ण का श्रृंगार अभिषेक, दीप महोत्सव एवं महाआरती आदि की पूजा सेवा दैनिक क्रम से होती रही है।

आयोजन के स्थाई संरक्षक भरभरा आश्रम के संत बनवारी दास महाराज द्वारा प्रदत्त अनुदान सहयोग से मंदिर में अद्वितीय गरुण स्तंभ स्थापित किए जाने का स्थान पूजन मंदिर की प्रधान संरक्षक महेश पाठक की माताजी श्रीमती सुशीला देवी पाठक द्वारा आचार्य अखिलेश जी, पंडित मुरलीधर पाठक, पंडित गोविंद शर्मा, पंडित सौरभ के द्वारा संपन्न कराया गया। आयोजन में अनुविभागीय अधिकारी प्रदीप मिश्रा, नायब तहसीलदार आशीष चतुर्वेदी, मुहांस मंदिर के प्रधान पंडाजी, बीएम तिवारी, रामनरेश त्रिपाठी, सहित हजारों की संख्या में धर्मप्रिय जनों ने भाग लिया।

निरीक्षण व मानीटरिंग नहीं करने पर गुणवत्ता हुई प्रभावित

भवन निर्माण में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी, कार्यवाही के लिए भेजा प्रस्ताव

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

कलेक्टर अवि प्रसाद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बड़वारा के निर्माण कार्य के दौरान प्रगतिरत निर्माण कार्य का निरीक्षण व मॉनीटरिंग नहीं करने के फलस्वरूप निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा उपयंत्री राजेश डोंगरे के विरूद्ध मध्य प्रदेश संविदा सेवा भर्ती नियमों के तहत कार्यवाही करने का प्रस्ताव मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा है।

जारी किया कारण बताओ नोटिस

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बड़वारा के जांच उपरांत कार्यपालन यंत्री लोकनिर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने उपयंत्री राजेश डोंगरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जिसके परिपालन में उपयंत्री राजेश डोंगरे द्वारा प्रस्तुत जवाब में निर्माण कार्य के दौरान प्राप्त कमियों को स्वीकार कराते हुए कमियों में सुधार करानें का लेख किया गया।

पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही

कलेक्टर अवि प्रसाद ने उपयंत्री राजेश डोंगरे द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को समाधानकारक नहीं मानते हुए उनके द्वारा किये गए इस कृत्य को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता तथा शासकीय कार्य के संपादन में रुचि नहीं लिये जाने पर राजेश डोंगरे उपयंत्री संविदा के विरुद्ध मप्र संविदा सेवा भर्ती नियमों एवं प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने का प्रस्ताव मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा है।

कलेक्टर द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में मिली कमियां

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बड़वारा के गुणवत्ता मानकों की अनदेखी कर किये जा रहे निर्माण कार्य संबंधी शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर विगत 27 अक्टूबर को कार्यपालन यंत्री लोकनिर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य की जांच की गई थी।

इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कराये गये कार्यों की जांच के दौरान कुशल मिस्त्री से कार्य नहीं कराये जाने की वजह से अस्पताल भवन की गैलरी के कुछ टाईल्स निकले पाये गए तथा भवन स्थित लेट्रिन व बाथरूम में लगाये गए दरवाजे भी अत्यधिक कमजोर पाये गए थे।

94 हजार 547 मैट्रिक टन गेहूं उपार्जित

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए जिले के उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से बुधवार 15 मई तक की अवधि में 15 हजार 789 किसानों से कुल 94 हजार 547 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जाकर 82 हजार 671 मैट्रिक टन गेहूं का परिवहन भी किया जा चुका है। कलेक्टर ने उपार्जित उपज का अविलंब परिवहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में छन्नाए पंखाए मॉइश्चर मीटरए परखीए तिरपाल एवं कृषकों के बैठने के लिए छायादार व्यवस्था तथा पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही राजस्वए खाद्य विभाग के अधिकारियों को निरंतर भ्रमण कर खरीदी केन्द्रों में कार्य का जायजा लेने के निर्देश दिए है।

जिले की समस्त तहसीलों में किये जा रहे उपार्जन कार्य में बुधवार 15 मई की स्थिति में तहसील बहोरीबंद निरंतर बढ़त में है। तहसील बहोरीबंद में अब तक कुल 4851 किसानों से 30 हजार 440 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कार्य किया जा चुका है इसमें से 28 हजार 504 मैट्रिक टन का परिवहन भी किया जा चुका है। जबकि दूसरे नंबर पर काबिज तहसील ढीमरखेड़ा में 4032 किसानों से 22 हजार 937 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जाकर 20 हजार 895 मैट्रिक टन गेहूं का परिवहन भी किया जा चुका है। तीसरे नंबर पर तहसील विजयराघवगढ़ में 1469 किसानों से कुल 10 हजार 259 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जाकर 6 हजार 892 मैट्रिक टन का परिवहन भी किया जा चुका है। वहीं चौथे नंबर पर तहसील स्लीमनाबाद में 1372 किसानों से 9 हजार 411 मैट्रिक टन की खरीदी की जाकर 9 हजार 292 मैट्रिक टन का परिवहन भी किया जा चुका है। इसी प्रकार पांचवे नंबर पर तहसील बरही द्वारा 1314 किसानों से 6 हजार 455 मैट्रिक टन उपार्जित किया जाकर 4 हजार 700 मैट्रिक टन गेहूं का परिवहन भी किया जा चुका है।

छठवे नंबर पर तहसील रीठी द्वारा 1182 किसानों से 6 हजार 295 मैट्रिक टन की खरीदी उपरांत 4 हजार 833 मैट्रिक टन का परिवहन कार्य किया जा चुका है। वहीं सातवे नंबर पर तहसील बड़वारा में 900 किसानों से 4 हजार 670 मैट्रिक टन की खरीदी उपरांत 3 हजार 825 मैट्रिक टन का उपर्जन के साथ ही तहसील कटनी में 15 मई की स्थिति में कुल 669 किसानों से 4 हजार 80 मैट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया जाकर 3 हजार 731 मैट्रिक टन गेहूं का परिवहन भी किया जा चुका है।

स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर निगरानी के निर्देश

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद ने मंगलवार की शाम स्ट्रांग रूम स्थल कृषि उपज मंडी पहरूआ परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

उन्होंने निरीक्षण पंजी रजिस्टर सहित सीसीटीवी और एलईडी टीवी की जांच कर सुरक्षा प्रहरियों को पूरी सजगता के साथ पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद बनाये रखने के निर्देश दिये।

गौरतलब है कि लोकसभा निर्वाचन में संसदीय क्षेत्र के मतदान में उपयोग की गई ईवीएम मशीन मतदान पश्चात कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी गई हैं। इन मशीनों को स्ट्रांग रूम से मतगणना वाले दिन 4 जून को स्ट्रांग रुम से बाहर निकाला जायेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रसाद द्वारा शहडोल एवं खजुराहो संसदीय क्षेत्र में शामिल जिले की चारों विधानसभा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को अपनी-अपनी विधानसभा के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम की निगरानी हेतु कार्यपालिक दंडाधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल के जवानों ने संभाल रखी है। स्ट्रांग रूम के पास किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। वहीं स्ट्रांग रूम के भीतर और उसके चारों ओर की प्रत्येक गतिविधि पर सीसीटीव्ही कैमरों से नजर रखी जा रही है। जिसका सुगम प्रदर्शन भी मंडी परिसर में स्थापित एल.ई.डी में किया जा रहा है।

जिला पंचायत सदस्य ने उच्च अधिकारियों से की शिकायत

सरकारी जमीन पर कब्जा कर परमानेंट विद्युत कनेक्शन कैसा हुआ, जांच का विषय

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सिलौड़ी

जिला पंचायत सदस्य कविता पंकज राय ने सरकारी जमीन में अवैध कब्जा और परमानेंट विद्युत कनेक्शन की जांच कराने पत्र लिखा है। पत्र की प्रति मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम सहित सहायक अभियंता ढीमरखेड़ा एवं सहायक अभियंता सिलौड़ी को भी प्रेषित की है।

पत्र में कविता पंकज राय ने उल्लेख किया है कि सरकारी जमीन पर रामलाल काछी के नाम से परमानेंट कनेक्शन एवं तीन ट्रांसफार्मर से अवैध कनेक्शन लेकर सरकारी एवं निजी जमीन में कब्जा किया है जांच करके FIR दर्ज करवाने उच्च अधिकारियों से मांग की है। रामलाल काछी द्वारा विद्युत मंडल के कर्मचारियों से सांठ-गांठ करके 2014 में सरकारी खसरा नं 338 में बोर था जिसने सन 2014 में अवैध परमानेंट कनेक्शन कर दिया गया था तथा उसके साथ ही टिकरीटोला ट्रांसफार्मर से सिद्धबाबा ट्रांसफार्मर एवं अतरसूमा रोड ट्रांसफार्मर से तीन जगह से अवैध कनेक्शन लिया गया है। कई वर्षों से सरकारी जमीन का खसरा नं 332 का कुल रकवा 0.25 हेक्टेयर था जो दस एकड़ से ऊपर होकर कब्जा करके एवं निजी जमीन में कब्जा करके खेती कर रहा है। जिसमें एम.पी.ई. बी के कर्मचारी भी मिले हुए हैं। सन 2018 को खसरा नं 332 का कुल रकबा 0.25 हेक्टेयर से तत्कालीन तहसीलदार द्वारा 17.01.2018 को बेदखली किया गया था। लेकिन बेदखली ना होकर उसके द्वारा निजी जमीन रुद्राश राय की दो एकड़ और दस एकड़ से अधिक सरकारी जमीन में कब्जा किया गया क्योंकि एम.पी.ई. बी. के कर्मचारियों के द्वारा तीन जगह से अवैध कनेक्शन दिये गये थे जिनका ना टी. सी. कनेक्शन कटा और जिससे राजस्व की हानि भी हुई है। दिनांक 07.03. 2023 को भी रुद्राश राय के खेत में अवैध कब्जा किया गया जिसकी शिकायत जिला पंचायत सदस्य कविता पंकज राय ने मौखिक सूचना विद्युत विभाग के जेई को एवं पुलिस चौकी प्रभारी को दी गई। जिसके बाद भी रामलाल काछी का सबरियल एवं बायर किये गये उसके बाद सांठ-गांठ करके उसको छोड़ दिया गया। इसी प्रकार 25.04.2024 को एक बार फिर से घटना घटित की गई जिसमें रुद्राश राय के सागौन के पेड़ो को आग लगाकर रामलाल द्वारा नष्ट किया गया जिसमें लगभग 1600 पेड़ जलकर राख हो गये जिससे रुद्राश राय को लगभग पंद्रह लाख की हानि हुई एवं जो खाली जगह थी उसमें भी रामलाल द्वारा कब्जा किया गया और उस जगह पर भी हरे भरे पेड़ो को काटकर बाउंड्री लगाकर कब्जा किया गया है विदित है कि 30.04.2024 को रामलाल काछी उस स्थान पर निजी भूमि समझकर कब्जा कर लिया है। स्मरण रहे कि उस जगह पर मूंग की फसल लहलहा रही है जो अवैध कब्जे की सरकारी जमीन है। विद्युत विभाग का नियम है कि किसान को परमानेंट कनेक्शन एवं टी. सी. कनेक्शन के लिए खसरा नक्शा एवं टेस्टरिपोर्ट दस्तावेज जरूरी है लेकिन नियमों को ताक में रखकर काम किया जा रहा हैं। अधिकारियो की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाया जा रहा है। धोखाधड़ी करके अवैध विद्युत कनेक्शन चलाना अपराध की श्रेणी में आता है। अतः इस प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही की मांग की है।

मिशन चौक में कोतवाली प्रभारी ने जांच अभियान के दौरान दी हिदायत

बिना पुलिस वैरीफिकेशन कराएं वाहन चलाया तो भेज देंगे जेल

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

कोतवाली पुलिस ने शहर में ई रिक्शा चालकों की धमा चौकड़ी और उनकी मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त रुख अपनाते हुए मिशन चौक पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नाबालिक ई रिक्शा चालकों एवं संदिग्धों को फटकार लगाते हुए उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराओ उसके बाद ही सड़क पर वाहन चलाना। यदि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के पाए गए तो सीधे जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी।

जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के द्वारा ई-रिक्शा चालकों पर अंकुश लगाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में आज मंगलवार देर शाम मिशन चौक पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान क्षेत्र का भ्रमण करते हुए संदेहियों की तलाशी भी ली गई। मिशन चौक पर जांच करते हुए नाबालिक ई रिक्शा चालकों एवं ऑटो चालकों सहित अन्य तीन पहिया वाहन चालकों को कड़े शब्दों में पुलिस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए गए। उन्हें यह भी बताया गया कि यदि अगली बार बिना पुलिस वेरिफिकेशन के वाहन चलाते पाए गए तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा ने कहा कि कुछ एक आपराधिक मामलों में ऑटो चालकों की संलिप्तता पाई गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ऑटो चालकों की जांच करने के लिए इस तरह की कार्यवाही भविष्य में लगातार की जाती रहेगी।

पुलिस ने शहर की होटलों में की जांच पड़ताल

आपराधिक घटनाओं एवं संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कोतवाली प्रभारी आशीष शर्मा बीती रात शहर स्थित होटलों की आकस्मिक जांच पड़ताल की। होटल में आने जाने वालों के दस्तावेज खंगालते हुए उन्होंने होटल संचालकों को सख्त लहजे में हिदायत देते हुए कहा कि यहां आने वाले किसी भी व्यक्ति पर अगर जरा भी संदेह हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और होटल में कौन आता जाता है इसकी हर दिन की जानकारी थाने में दें। बाजार क्षेत्र एवं होटलों की आकस्मिक जांच पर निकले थाना प्रभारी ने बताया कि एसपी द्वारा संदिग्ध एवं अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बाजार क्षेत्र, होटल, सार्वजनिक गली, चौराहों की आकस्मिक जांच के निर्देश दिए गए हैं।

एडि एसपी डॉ संतोष डेहरिया, सीएसपी ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में दलबल के साथ बाजार क्षेत्र का पैदल भ्रमण कर परिस्थितियों का जायजा लेते हुए संदेहियों पर नकेल कसने के लिए उनसे पूछताछ की गई। थाना प्रभारी ने बाजार क्षेत्र का भ्रमण करने के उपरांत शहर में मौजूद विभिन्न होटलों की आकस्मिक जांच की गई। इस दौरान होटल के आगंतुक रजिस्टर को चेक करते हुए होटल संचालकों को यह भी हिदायत दी गई है कि आगंतुक रजिस्टर में दर्ज जानकारी प्रतिदिन कोतवाली थाने को उपलब्ध कराएं एवं होटल में आने वाले किसी भी व्यक्ति को लेकर अगर कोई संदेह उत्पन्न होता है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें।

शालीमार मार्केट में आगजनी पर काबू पाने किया गया मॉक ड्रिल

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

तंग गलियों में आगजनी के घटना के बाद किस तरह दमकल विभाग अपनी कार्यवाही को कुशलता पूर्वक अंजाम दे) इस बात की जाँच के लिए बुधवार को नगर निगम के दमकल विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

शहर की तंग गलियों में होने वाली आगजनी की घटनाओं पर कुशलतापूर्वक नियंत्रण पाने के लिए कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर उपायुक्त/प्रभारी आयुक्त पवन कुमार अहिरवार के मार्गदर्शन में नगर निगम द्वारा फोम कॉम्बेट मशीन क्रय की गई है) जिसका आज मॉक ड्रिल के माध्यम से परीक्षण किया गया। शहर के सबसे संकीर्ण एवं व्यस्ततम बाजार शालीमार मार्केट में आगजनी की घटना का नाटकीय

प्रदर्शन करते हुये उस पर नियंत्रण पाने का सफल परीक्षण किया गया।

बुधवार को प्रातः 11:30 बजे स्टेशन रोड शालीमार मार्केट में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी प्रदीप मिश्रा, उपायुक्त/प्रभारी आयुक्त पवन कुमार अहिरवार, राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक, प्र.फायर नियंत्रण अधिकारी अरविंद कुमार प्यासी, सहायक फायर नियंत्रण अधिकारी शैलेन्द्र दुबे, एसडीईआरएफ कमाण्डर श्वेता गुप्ता (टीम सहित) की उपस्थिति में नगर निगम के फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा फोम कॉम्बेट मशीन को संकीर्ण गली के अंदर ले जाकर मॉक ड्रिल किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी, मार्केट के दुकानदारों एवं अन्य नागरिकों की उपस्थिति रही।

खबर संक्षेप

कृषि योजनाओं के लाभ के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

पन्ना। शासन के नवीन दिशा निर्देश अनुसार अब कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ कृषक हितग्राहियों को ऑनलाइन पंजीयन के उपरांत ही मिल सकेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ए.पी. सुमन ने बताया कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक एम किसान ए प र ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। पोर्टल अथवा कॉमन सर्विस सेंटर पर भी पंजीयन कराया जा सकता है।

आलोक मार्को को परियोजना अधिकारी का सौंपा प्रभार

पन्ना। कलेक्टर सुरेश कुमार ने प्रशासनिक कार्य सुविधा के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से डिप्टी कलेक्टर आलोक मार्को को अपने कार्य के साथ प्रभारी परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण पन्ना का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक सौंपा है। इसके पूर्व 19 जनवरी 2023 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पन्ना शशिकपूर गढ़पाले को उक्त प्रभार दिया गया था।

देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाडियों का हुआ सम्मान

पन्ना। यूएई में एशियन चैम्पियनशिप में देश का परचम लहराने वाले खिलाड़ियों को लगातार सम्मानित किया जा रहा है। शहर की अग्रणी शैक्षणिक संस्था महारानी दुर्गा राज्य लक्ष्मी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्ना की संचालक एवं पन्ना राजपरिवार की राजकुमारी कृष्णा कुमारी ने आज भारतीय टीम का हिस्सा रहीं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हर्षित विश्वकर्मा और भारत की ओर से 9 रैंक टॉप 10 स्थान बनाने वाले इरफान उल्ला खान को सम्मानित किया। गौरतलब है कि इरफान खान ने इसी स्कूल में बतौर खेल प्रशिक्षक सेवाएं भी दी हैं।

भगवान से मिलना कठिन नहीं हम आपका सरल होना कठिन है

दमोह। कुंडलपुर पटेरा रूंद वाले हनुमान मंदिर में आयोजित कथा के मार्गदर्शक महंत श्री गजेन्द्र पुरी जी महाराज श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया गया। छठे दिन व्यास पीठ पर विराजमान "कथावाचक किशोरी वैष्णवी गर्ग जी" ने रास पांच अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महारास में पांच अध्याय हैं। उनमें गाये जाने वाले पंच गीत भागवत के पंच प्राण हैं जो भी ठाकुरजी के इन पांच गीतों को भाव से गाता है वह भव पार हो जाता है। उन्हें वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंस का वध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, कालयवन का वध, उधव गोपी संवाद, ऊधव द्वारा गोपियों को अपना गुरु बनाना, द्वारका की स्थापना एवं रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण पाठ किया गया। कथा के दौरान किशोरी जी ने कहा कि महारास में भगवान श्रीकृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आह्वान किया और महारास लीला के द्वारा ही जीवात्मा परमात्मा का ही मिलन हुआ।महारास में स्वयं शंकर भगवान पहुंचे ।जीव और ब्रह्म के मिलने को ही महारास कहते है।

चिन्हित कुपोषित बच्चों को एन.आर.सी. में भेजना सुनिश्चित करें

आंगनबाड़ी प्रतिदिन प्रातः 9 से 3 बजे तक खुले रहें : कलेक्टर

हरिभूमि न्यूज ▶▶ दमोह

जिले की आंगनबाड़ियों में बच्चों, गर्भवती माताओं, धात्री माताओं को पर्याप्त पोषण, पोषण आहार और जीरो से 6 साल के सभी बच्चों की जो सारी व्यवस्थाएं हैं, वे व्यवस्थित रहे। आंगनबाड़िया समय पर खुले और आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण और माताओं के पोषण का पूरा ध्यान रखा जाना सुनिश्चित किया जाये। इस आशय के निर्देश आज कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आंगनवाड़ी सुपरवाइजर और स्वास्थ्य विभाग की आयोजित बैठक में दिये। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीडीपीओ और परियोजना अधिकारी आदि मौजूद रहे। कलेक्टर श्री कोचर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा आंगनवाड़ी प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक खुलें। अपरान्ह 3 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक ग्राम भ्रमण और ग्रह भेट का कार्यक्रम प्रतिदिन किया जाए। बैठक में कलेक्टर श्री कोचर ने इसके अलावा भी कई अन्य विषयों पर समीक्षा की। उन्होंने कहा आंगनबाड़ियों के सुदृणीकरण के लिए, महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने हैं, उठाए जाएंगे। उन्होंने महिला एवं बाल विकास की मासिक समीक्षा बैठक परियोजना एवं सेक्टरवार की। जिसमे विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं पर पीपीटी के माध्यम से बिन्दुबार अवलोकन करते हुये जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजरों को समुचित दिशा निर्देश दिए गये। समीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों एवं परियोजना अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर आ रहे तकनीकि समस्याओं के संबध मे कार्यालय से पत्र दिया जाये ताकि समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो एवं लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल कि जा सके, साथ ही स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि योजना के लाभ हेतु एम.सी.पी. कार्ड समय पर बनाया जाये व एएए (आशा/ए.एन.ए./आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं) की बैठके नियमित कि जाये एवं ग्रासरूट लेविल पर जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको अंतर विभागीय समन्वय के साथ निपटरा किया जाये एवं इन बैठको की नियमित एवं सघन मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाया जाये, साथ ही यदि समस्याओं का हल वहां से नही होता है तो तुरंत ही अधिकारियो तक वह प्रेषित कि जाये ताकि । एन.आर.सी. की समीक्षा कर निर्देश दिये गये कि परियोजनावार चिन्हित कुपोषित बच्चो को एन.आर.सी. मे भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभागो के समन्वय के साथ अप्रैल एवं मई माह मे रोके गये बाल विवाहो पर प्रसन्नता जाहिर करने हुये कहा कि हमारा प्रयास यही तक नही रूकना चाहिये बल्कि हमे इस कानून का व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिये।

बैठक के अंत मे कलेक्टर श्री कोचर ने वन टू वन परियोजना अधिकारियो एवं पर्यवेक्षकों से बात करते हुये फील्ड स्तर से आने वाली चुनौतियां एवं समस्याओं के बारे मे जाना, जिसमे पाया गया कि कुछ समस्याओं का निराकरण अंतर्रविभागीय समन्वय के साथ शीघ्र किया जा सकता है। इस हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित किया गया कि जिला एवं राज्य स्तर से जो भी समस्या का हल किया जा सकता है उन्हे शीघ्र ही पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया जाये, ताकि शीघ्र से शीघ्र समस्याओं का हल हो और विभागीय योजनाओ का निष्पादन शत-प्रतिशत किया जा सके।

पीतांबरा पीठ में मनाया मां बगलामुखी प्राकट्य दिवस

हटा। नगर के देवश्री गौरीशंकर मंदिर स्थित मां पीतांबरा पीठ मंदिर में बुधवार को वैशाख शुक्ल की अष्टमी को मां बगलामुखी प्राकट्य दिवस भक्तगणों द्वारा श्रद्धा-भक्ति भाव के साथ मनाया गया। वैशाख शुक्ल अष्टमी बुधवार को सुबह माता रानी के मंदिर को फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया इसके उपरांत मंदिर के पुजारी पंडित धर्मेंद्र तिवारी द्वारा विधिविधान के साथ हवन पूजन एवं बगलामुखी अनुष्ठान पाठ किया गया वहीं संध्याकालीन बेला में मातारानी की महाआरती की गई। जिसमें सैकड़ो भक्तगणों ने मातारानी के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी पंडित धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि जो भक्त देवी बगलामुखी की पूजा करते हैं वे अपने शत्रुओं पर संपूर्ण नियंत्रण पाकर उनसे छुटकारा पा लेते हैं। मां बगलामुखी दश महाविद्या के रूप में मानी जाती है, बंगलामुखी नाम का अर्थ है जिसकी जीभ पर दृढ़ पकड़ हो और वह है किसी भी व्यक्ति के दिमाग को नियंत्रित कर सके, देवी बगलामुखी को मां पीतांबरा देवी के रूप में भी माना जाता है।

बिना अनुमति हो रहे बोर को कराया बंद, मशीन जब्त

बनवार। अवैध रूप से बोर खनन का काम जारी है। बोर खनन माफिया अवैध रूप से बोर खनन कर मोटा मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। इसी बीच सूचना मिलते ही जबेरा तहसीलदार विवेक व्यास ने राजस्व अमले के साथ नोहटा में मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। जिसमें बोर खनन करते मशीन पकड़ी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहन पटेल निवासी दमोह की बोर बेल मशीन नोहटा की समीपी ग्राम पंचायत में अवैध तरीके से बोर कर रही थी जिसको पड़कर जबेरा तहसीलदार ने नोहटा थाना की अभिरक्षा में खड़ा किया है। उक्त बोरवेल मशीन मलिक पर चालानी कार्रवाई की गई है बता दें गर्मी को ध्यान में रखते हुए पेयजल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बोरवेल खुदाई पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा 30 जून तक प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन अवैध तरीके से बोर किए जा रहे थे जिस पर यह कार्यवाही की गई है। जबेरा तहसीलदार विवेक व्यास ने आमजन से अपील की है गर्मी को देखते हुए 30 जून तक बोरबेल प्रतिबंध के नियमों का पालन करें यदि बोरवेल किया जाना अति आवश्यक है तो सक्षम अधिकारी से इसकी अनुमति प्राप्त करें बिना अनुमति के यदि बोर किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में जुर्माना व कारावास दोनों सजा हो सकती हैं।

जलविहार के साथ कथा का समापन

बनवार। बनवार में भागवत कथा का जल बिहार यात्रा के साथ मंगलमय समापन हुआ इस अवसर पर भागवत महापुराण की चल यात्रा धूमधाम से निकाली गई। कथा स्थल से व्यारमा नदी के तट तक श्रद्धालु झूमते नाचते अबीर गुलाल उड़ाते हुए नजर आये पास व्यारमां नदी के बड़े घाट पर पहुंचकर पूजन कि या गया। इसके बाद वापस कथा स्थल पहुंची बालव्यास पं.ऋषिकांत गर्ग जी महाराज ने बताया की जलविहार का अर्थ है। जिस प्रकार जल एक प्रत्यक्ष देवता माना जाता है और उन्हीं जल को पहले दिन कलशों में लेकर उसमें वरुण का आवाहन कि या जाता है। 7 दिन के बाद उसी जल में भगवान को बिहार कि या जाता है। क्योंकि संस्कृत में जल का अर्थ होता है नार। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही।

गुरु के बिना परमात्मा मिलना संभव नहीं: मुनिश्री निष्कम्पसागर जी

कुंडलपुर। सुप्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र, जैन तीर्थ कुंडलपुर में युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य आचार्य श्री समयसागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पूज्य मुनि श्री निष्कम्पसागर जी महाराज ने प्रवचन देते हुए कहा एक घास के तिनके की इच्छा थी सागर में जाकर मिलने की ।यात्रा प्रारंभ करता है हवा का झोंका उसका प्रयास सफल नहीं होने देता। कई बार उसने प्रयास किया मैं सागर से मिलूं जैसे ही वह यात्रा प्रारंभ करता हवा का एक झोका आता उसके प्रयासों को असफल कर देता ।सामने बैठा हुआ एक पथिक बहुत देर से यह दृश्य देख रहा था उसने तिनके से पूछा तुम क्या कर रहे हो तिनके ने कहा मैं सागर से मिलना चाहता हूं पर यात्रा विफल हो जाती है। मैं इतना पुरुषार्थ कर रहा हूं मेरा पुरुषार्थ कोई काम नहीं आ रहा। उस पथिक ने कहा तुम्हारा यह पुरुषार्थ ठीक नहीं । तुम सागर से मिलना चाहते हो बन्धुओं कभी-कभी मनुष्य पुरुषार्थ तो करता है पर पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती। पुरुषार्थ तो कर रहा है पर पुरुषार्थ सही दिशा में नहीं हो रहा। सही दिशा में करें तो उसे सफलता जरूर प्राप्त होगी। लेकिन हमारा जो पुरुषार्थ है असफल इसलिए होता है कि हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में नहीं होता ।कई लोग कहते हम पुरुषार्थ करते पर सफलता प्राप्त नहीं हो रही। एक बार लोगों ने कहा हमारे यहां जल की कमी है हम जिनेंद्र भगवान का

अभिषेक नहीं कर पाते कुएं का शुद्ध जल प्राप्त नहीं होता। हम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कैसे करें। जैन दर्शन में कहा है बोरिंग के पानी से अभिषेक नहीं होना चाहिए ।साधुओं का आहार भी बोरिंग के पानी से नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कुएं का पानी भी नीचे से आ रहा है और बोरिंग का पानी भी नीचे से आ रहा है ।जैन दर्शन में पानी छानने का नहीं बिल्छानी का महत्व है। कुएं के पानी की विल छानी यथा स्थान पहुंचेगी बोरिंग के पानी की नहीं पहुंचेगी। महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो कुएं के जल की व्यवस्था हो जाए। इस स्थान पर जल की प्राप्ति हो सकती है 100 फीट गड्ढा खोदो महाराज ने कहा। हम कल आएंगे देखेंगे। दूसरे दिन महाराज जी के पास वह व्यक्ति उदास बैठा था बोला हमने इतना पुरुषार्थ किया पर पानी की प्राप्ति नहीं हुई ।दिगंबर साधु झूठ नहीं बोलते आपने कहा था पानी की प्राप्ति होगी। हां दिगंबर साधु का वचन झूठ नहीं होता तुमने पुरुषार्थ तो किया एक-एक फीट के सौ गड्ढे खोद दिए तुम्हारा पुरुषार्थ सफल नहीं हो पाया। ऐसा ही उस पथिक ने तिनके से कहा तुम्हें रास्ता बताता हूं तुम सागर से मिल सकोगे ।तुम्हारे बगल से जो गंगा नदी जा रही है तुम इसमें डुबकी लगा लो। तुम्हारी सागर से मिलने की यात्रा पूरी होगी ।उसने पथिक की बात मानी और तिनके ने नदी में डुबकी लगाई और सागर तक की यात्रा कर ली ।इस दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहता हूं गुरु रूपी गंगा में डुबकी लगाना पड़ेगी और परमात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। जो गुरु की अवहेलना करते उन्हें गुरु के बिना परमात्मा मिलने वाला नहीं है ।गुरु के माध्यम से ही तुम्हें परमात्मा मिल सकते हैं। बिना गुरु के परमात्मा मिलना तीन काल में भी संभव नहीं है।

मन के दास मत बनो, मन को अपना दास बना लो

बनवार। समीपी ग्राम खेड़ार संकट मोचन मंदिर प्रांगण में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण एवं माता रुक्मिणी के विवाह के मंगल गीत गाए। कथा प्रवक्ता पंडित उमाशंकर शास्त्री ने कहा कि रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री और साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थीं। रुक्मिणी ने जब देवर्षि नारद के मुख से श्रीकृष्ण के रूप, सौंदर्य एवं गुणों की प्रशंसा सुनी तो उसने मन ही मन श्रीकृष्ण से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी का बड़ा

भाई रुक्मी श्रीकृष्ण से शत्रुता रखता था और अपनी बहन का विवाह चेदिनरेश राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल से कराना चाहता था। रुक्मिणी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एक ब्राह्मण संदेशवाहक द्वारा श्रीकृष्ण के पास अपना परिणय संदेश भिजवाया। तब श्रीकृष्ण विदर्भ देश की नगरी कुंडीनपुर पहुंचे और वहां बारात लेकर आए शिशुपाल व उसके मित्र राजाओं शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंडरक को युद्ध में परास्त करके रुक्मणी का उनकी इच्छा से हरण कर लाए। वे द्वारिकापुरी आ ही रहे थे कि उनका मार्ग रुक्मी ने रोक लिया और कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। तब युद्ध में श्रीकृष्ण व बलराम ने रुक्मी को पराजित करके दंडित किया। तत्पश्चात श्रीकृष्ण ने द्वारिका में अपने संबंधियों के समक्ष रुक्मिणी से विवाह किया।

स्कूलों जिन्होंने वर्ष 2024-25 के लिए 10 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई, उन्हे नोटिस देंगे- कलेक्टर

दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया राज्य सरकार ने नियम बनाये है कि यदि कोई स्कूल किसी पार्टिकुलर सत्र की फीस बढ़ता है, तो 10 प्रतिशत तक फीस बढ़ाने पर उनको ऑटोमेटिक स्वीकृति मिल जाती है, उसमें कहीं किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि पिछले वर्ष फीस 10 प्रतिशत से ज्यादा और 15 प्रतिशत से कम बढ़ाई है, तो ऐसी स्थिति में जिला समिति की स्वीकृति उसमें आवश्यक होती है, जिला समिति के सामने प्रकरण रखा जाता है और स्कूल को यह बताना होता है फीस क्यों बढ़ाई है, ऐसे कौन से कारण थे कि फीस 10 प्रतिशत से ज्यादा और 15 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। यदि किसी स्कूल ने 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रकरण राज्य सरकार के सामने जाता है और इसमें जिला स्तर पर पूरे कारणों का, उनके आधारों को सुनवाई का अवसर देता हुए एकत्रित किया जाता है और फिर इसको राज्यस्तर पर भेजा जाता है1 कलेक्टर श्री कोचर ने बताया आज से उन स्कूलों को नोटिस जारी करना प्रारंभ किया है जिन्होंने वर्ष 2024-25 के लिए 10 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है और उन स्कूलों को यह कहा है कि वह अपने फीस वृद्धि के आधार जिला समिति के पास स्पष्ट करें कि यह फीस किन परिस्थितियों में बढ़ानी पड़ी है, इसका मुख्य कारण क्या है और इसके लिए उनको दस्तावेज के साथ आने के लिए कहा गया है। यदि इसमें उनकी जानकारी संतोष प्रद नहीं होती है, तो नियमों के अनुसार वह फीस की राशि अभिभावकों को नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत वापसी की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया जिन स्कूलों ने पिछले साल की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है उनके केसेस में स्कूलों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, स्कूल उसके संबंध में पूरी जानकारी देंगे और वह जानकारी जिला स्तर से राज्यस्तर तक पहुंचाई जाएगी। राज्यस्तर पर जो सक्षम प्राधिकारी है वे इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेंगे।

मनरेगा में खुलकर जेसीबी मशीन का हो रहा उपयोग

पंचायत कर्मी कलेक्टर के आदेश की कर रहे अवहेलना

हरिभूमि न्यूज ▶▶ हटा

ग्राम पंचायत के मनरेगा मजदूरों को उम्मीद रहती है कि ग्राम में कार्य शुरू होंगे तो उन्हें रोजगार मिलेगा लेकिन जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बंधा के सरपंच रोजगार सहायक द्वारा मनमानी करते हुए निर्भीक होकर जेसीबी से नाली निर्माण कार्य की खुदाई करवा दी अगर यह कार्य श्रमिकों से कराया जाता तो बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार मिल सकता था। दरअसल ग्राम पंचायत बंधा में 3 लाख 26 हजार की लागत से 15वां वित्त व मनरेगा के तहत मुख्य सड़क से रामभगत यादव के घर तक नाली निर्माण कार्य किया जा रहा है, इस निर्माण में मानकों के साथ कायदों की भी खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, नियमानुसार मनरेगा कार्य केवल श्रमिकों से ही करवाए जा सकते हैं। अगर कोई मशीनरी या जेसीबी का उपयोग कर श्रमिकों को रोजगार से वंचित करता है तो उसके विरुद्ध विगत दिनों दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा सख्त कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए थे लेकिन उसके बावजूद ग्राम पंचायत बंधा कि जिम्मेदारों द्वारा श्रमिकों का हक करने के लिए नया तरीका इजाद कर बिना मास्टर रोल निकाले जेसीबी से नाली की खुदाई करवा दी। जबकि ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी जनपद में बैठे जिम्मेदारों को नहीं है, उपयंत्री द्वारा मॉनिटरिंग न करने के चलते खुलकर पंचायत के जिम्मेदार नियमों को रौंद रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत बंधा के जिम्मेदारों द्वारा मनरेगा का पहला कार्य जेसीबी से कराया जा रहा हो इसके पूर्व में भी मनरेगा से तलैया निर्माण कार्य सिर्फ कागजों पर कराकर लाखों रुपए मजदूरों के नाम भुगतान कराकर हड़प लिए गए थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत हटा बीएस यादव का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है, जेसीबी का अगर उपयोग हो रहा है तो गलत है। जल्द ही मामले को दिखवाया जाएगा।

ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने उन्हें दर्शन दिये थे - पं रवि शास्त्री

दमोह। स्थानीय तीन गुल्ली पर सीरोठिया परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में कथा वाचक आचार्य पंडित रवि शास्त्री महाराज ने कहा कि ध्रुव जी राजा उत्तानपाद के पुत्र थे और उनकी मां सुनीति थी एक समय की बात है राजदरबार लगा था महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि एवं उसके पुत्र उत्तम के साथ राजसिंहासन पर बैठे थे तभी पांच साल छोटे से बालक ध्रुव खेलते खेलते दोस्तों के साथ राजसभा में पहुंच गए अपने छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखकर, छोटे ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा की। लेकिन सुरुचि इसे कैसे सह सकती थी सुरुचि ने बालक ध्रुव से कहा अरे तुम्हारा यह साहस अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते है तो तपस्या करके भगवान को प्राप्त करो भगवान को प्रसन्न करके मेरी कोख से जन्म पाने का अधिकार प्राप्त करे तभी तुम महाराज की गोद में बैठ सकते हो फिर सुरुचि ने ध्रुवजी का हाथ पकड़ कर उन्हें राजा की गोद से दूर कर दिया यद्यपि अबोध बालक ध्रुव ने पूरी बात तो समझ नहीं सके लेकिन उन्हें यह मालूम हो गया कि उसका अपमान हुआ है और वह भगवान को प्राप्त करके ही अपमान से मुक्ति हो सकते है इस बात को समझकर उन्होंने अमोघ भगवत कृपा का अनुभव करने का निश्चय किया अक्सर परेशानियाँ ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती हैं छोटे से ध्रुव रोते-रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुचे सुनीति ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा बेटा सचमुच मैं अभागिनी हूँ। लेकिन बेटा तुम्हे बैठना ही है तो भगवान श्री हरि की गोद के अधिकारी बनो और उन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या करो तुम्हारी छोटी माँ सुरुचि ने सही ही कहा है तुम उनसे कोई बैर मत रखो सच्ची प्राप्ति तो भगवान को पाना ही है तुम्हारी इच्छा केवल भगवान से पूरी हो सकती है भगवान विष्णु की भक्ति से सब कुछ संभव है कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान नहीं दे सकते। भगवान विष्णु सब कुछ दे सकते हैं इस बात ने ध्रुव के मन में घर कर गई वह निर्मल हृदय के साथ यह विश्वास कर लिया कि भगवान विष्णु सब कुछ संभव कर सकते हैं ध्रुव जी ने दृढ़ निश्चय के साथ माता सुनीति से निवेदन किया मुझे वन में तपस्या करने की आज्ञा दे बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो, कुछ बड़े हो जाओ, उसके बाद जाना माता ने ध्रुव को कई बार समझाया लेकिन ध्रुवजी के दृढ़ निश्चय में माँ सुनीति कुछ भी बदल नहीं सकी और आखिरकार माता ने भगवान के कृपा पर पूरा भरोसा रखते हुए बच्चे को वन में जाने की आज्ञा दी ध्रुव माँ से आज्ञा लेकर तपस्या करने वन की ओर चल दिए ध्रुवजी भगवान कैसे और कहाँ मिलते हैं ध्रुवजी को यह नहीं पता था कि कहां जाना हैं लेकिन वह पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वन में चलते गए भगवान की ओर बढ़ते समय ध्रुव को देवर्षि नारद मिले नारद जी ने ध्रुव की पूरी बात सुनी और कहा बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो इस उम्र में क्या मान अपमान तुम प्रसन्न रहो और भगवान के द्वारा जैसा निर्धारित होता है, उसमें संतोष करो भगवान से मिलना कठिन होता है और बड़े योगी और मुनि बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के बावजूद भगवान के दर्शन को अनेक जन्मों के बाद ही प्राप्त कर पाते हैं देवर्षि की बातों के बावजूद, ध्रुव के निश्चय में कोई बदलाव नहीं हुआ संत आप वास्तव में दयालु हैं आपने जो सलाह दी है वह सचमुच बेहद अच्छी है हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं भगवान को शीघ्र प्राप्त कर सकूं ध्रुवजी ने देवर्षि से विनम्रता से अपनी बात कही ध्रुव के दिल में कोई डर या संदेह बिल्कुल नहीं था देवर्षि ने ध्रुव की पूरी आस्था को देखकर उन्हें भगवत प्राप्ति का मंत्र देने का निश्चय किया ध्रुवजी पर सन्त कृपा हुई देवर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया बेटा तेरा कल्याण होगा अब तुम श्री यमुना जी के तट पर जाओ वहां पर निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय' इस द्वादश मंत्र का जाप करो दिन में तीन बार यमुना में स्नान करके स्थिर आसन पर बैठ जाना, प्राणायाम करना, अपने मन को शांति और एकाग्रता में रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करना ध्रुव जी ने यमुना नदी के किनारे मधुवन में जाकर भगवान का नाम जप करने का निश्चय किया। नारद जी की कृपा से उन्हें आचारविधि का ज्ञान मिल गया था वे दिन-पर-दिन अपने व्रत को और भी कठिन बनाने लगे और निष्काम भाव से भगवान की उपासना करने लगे ओर भगवान को प्राप्त कर लिया।

सीएम राईज में समर कैंप का हुआ समापन

दमोह। 15 मई की सुबह महात्मा फुले सीएम राइज स्कूल दमोह में छात्र छात्राओं के समर कैंप का समापन समारोह रखा गया था।इस समर कैंप में सीएम राइस स्कूल के अलावा अन्य इच्छुक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया जिसमें कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने विगत पन्द्रह दिन सहभागिता की।समर कैंप में चित्र कला, संगीत, क्लासिकल डांस से समस्त कलाओं तथा योग एवं व्यायाम सीखने का अवसर मिला। सहभागिता निभाने वाले सभी छात्र छात्राओं को कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं जिला शिक्षा अधिकारी

एस के नेमा द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी अतिथियों द्वारा वितरित किए गये। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं पूर्व प्राचार्य नरेन्द्र नायक ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे आज ही पता चला कि समर कैंप का समापन है,पहले पता चलता तो मैं रोज सुबह आकर आपके साथ योग , व्यायाम कर चित्र कला भी सीखता। विशिष्ट अतिथि के रूप में सहायक संचालक शिक्षा नन्हें सिंह ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि - ₹कला प्रत्येक जीव को प्राकृतिक रूप से मिलती है मोर मोरनी किसी विद्यालय में सीखते नहीं उनमें स्वमेव विकसित हो जाती हैं इसलिए सभी सहभागिता करने वाले बच्चे प्रतिदिन वह करें जो आपको पसंद है अभिभावकों से भी अनुरोध है कि बच्चों को खेलते या अभ्यास करते समय रोके टोके नहीं।बच्चा जितना आनंदित होगा,उसके सीखने की शक्ति उतनी अधिक बढ़ेगी। कार्यक्रम में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी यशवंत कोरी, व्याख्याता आर बी सिंह, भूगोल व्याख्याता निशा असाटी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का आभार ज्ञापन प्राचार्य आर पी कुर्मी ने किया।

खबर संक्षेप

आदित्य का सुयश

दमोह। नगर के सागर रोड सेंट्रल बैंक के पास निवासी आदित्य शर्मा पिता राकेश शर्मा ने कक्षा बारहवी गणित संकाय सीबीएसई में 96.2 प्रतिशत प्राप्त कर पीसीएम संकाय में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर जिले के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा सम्मानित किया। आपको ज्ञात को कि आदित्य द्वारा पूर्व में भी जेईई मेन्स 2024 में 99.89 पर्सेटाइल हासिल कर जिले का गौरव बढाया। उनकी दोहरी उपलब्धि पर शाला गुरू नानक एजूकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह बग्गा एवं शाला के समस्त पदाधिकारीयों व स्कूल के प्राचार्य,शिक्षको ओर शुभचितकों द्वारा शुभकामानयें देकर उज्जवल भविष्य की कामना की।

आज होगा लोक गीतों का प्रसारण

दमोह। आकाशवाणी छतरपुर से लोकगीतों का प्रसारण में दमोह के पं. नंदराम तिवारी संगीत शिक्षक की आवाज में 16 मई 2024 को सुबह 9 बजे लोकरंग क्रम में होगा। पं.नंदराम तिवारी ने बताया कि उन्होंने आकाशवाणी छतरपुर रेडियो स्टेशन में हारमोनियम वादन, सुगम संगीत एवं लोकगीत गायन इन तीनों विधाओं में सिलेक्शन अथवा कम्पटीशन में पास हुए हैं दमोह जिले के लिए गर्व की बात है कि अपने क्षेत्र के कलाकार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन्हें बधाई देने वाले में कृष्ण कुमार चौबे, शिवदयाल प्रधान, कमलेश प्रधान, पूजारूपा तिवारी, श्रीमती बबीता चौबे, संजय पेंटर, सुनील एवं अन्य कलाकार साथियों द्वारा बधाई दी गई।

संदेशवाहक रोहित ने कर्ज चुकाने के लिये की थी लूट की वारदात, पुलिस ने चंद घंटों में किया खुलासा

बैंक कर्मी ही निकला लूट का मास्टर माइंड: दोस्तों के साथ दिया घटना को अंजाम, स्वयं को घायल बंधक बना लिया

हरिभूमि न्यूज ▶▶ दमोह

जिले में मंगलवार की रात थाना मगरोन के अंतर्गत फतेहपुर के मध्यांचल ग्रामीण बैंक में हुई 41 लाख रुपये से अधिक की लूट की वारदात का पुलिस ने का चंद घंटों में ही खुलासा कर दिया है। खास बात यह है कि घटना की सूचना देने वाला घायल बैंक कर्मचारी भी लूट की साजिश में शामिल निकला है। उसने ही लोन चुकाने के दोस्तो के साथ मिलकर इस घटना की साजिश रची। पुलिस ने साथ ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे रकम भी बरामद कर ली है। दमोह पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, कट्टा, मोबाइल और बैंक से लूटी हुई कुल रकम 41,23,327 रुपये जब्त किए हैं। थाना मगरोन में अपराध क्रमांक-97/24 धारा 394 भादवि का मामला दर्ज किया गया। आरोपियों में

फतेहपुर निवासी रोहित पिता हरिनारायण विश्वकर्मा 25 वर्ष बैंक कर्मचारी, पिपरिया घनश्याम निवासी दुर्गेश उर्फ कमलेश पिता कल्लू काछी (25 वर्ष) और फतेहपुर निवासी देवी उर्फ दिव्वल पिता लोटन काछी (23 वर्ष) शामिल हैं। दरअसल, बैंक के शाखा प्रबंधक कपिल रैकवार 14 मई 2024 को शाम 8 बजे फतेहपुर चौकी पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि शाम करीब 7 बजकर 45 मिनट पर वह अपने बैंक के साथी हरिनारायण विश्वकर्मा के साथ देहात स्थल का निरीक्षण कर बैंक पहुंचे तो बैंक के संदेश वाहक रोहित विश्वकर्मा ने उन्हें लूट की जानकारी दी। रोहित ने प्रबंधक को बताया कि कुछ बदमाश मुंह पर कपड़ा बांध कर आये थे और मुझे कट्टा दिखाकर मेरे साथ मारपीट की। वे बैग से चाबी निकाल कर तिजोरी (सेफ) में रखी बैंक की कुल रकम 41,23,327 रुपये लूट कर ले गए।

शाखा प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। सागर जोन के आईजी प्रमोद वर्मा, सागर रेंज के डीआईजी सुनील जैन और एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी के मार्गदर्शन में तत्काल टीम गठित कर जांच-पड़ताल शुरू की गई। दमोह में नाकाबंदी कर बैंककर्मियों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान

ऐसी रची थी बैंक लूटनें की साजिश-

वही बैंक प्रबंधन द्वारा पुलिस को बताया गया कि बैंक बंद होने के बाद बैंक में दो कर्मचारियों की ड्यूटी थी जिसमें गाड्र रोहित विश्वकर्मा ने पूरे मामले का षड्यंत्र पहले से रचा हुआ था उसने अपने दो साथियों को बैंक बुलाया एवं नकाबपोश की शक्ल में खुद पर ब्लड तथा अन्य हथियारों से अपने आप को चोटिल कराया इसके बाद 41 लाख रुपए से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया गया और उसी सिक्योरिटी गार्ड द्वारा घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी थी।

संदेशवाहक रोहित के कथनों और प्राप्त साक्ष्यों में विरोधाभास पाया गया। कई घंटों की पूछताछ के बाद रोहित ने अपने दोस्तों दुर्गेश और देवी के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। रोहित ने पुलिस को बताया कि उसके ऊपर बहुत कर्ज था, जिसको चुकाने के लिये उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। वह इस फिराक में था कि अधिक से अधिक रकम निकाली जा सके। उनसे यह भी स्वीकार किया कि उसे आई चोट भी स्वयं द्वारा कारित की गई है।

पुलिस द्वारा गठित टीम में दमोह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, पथरिया के एसडीओपी रघु केशरी, हटा के एसडीओपी नीतेश पटेल और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सायबर टीम, फोटोग्राफी और फोरेंसिक टीम शामिल थीं।

बिल्डिंग परमिशन में पास नक्शा से अधिक कंस्ट्रक्शन करने वालों को नोटिस जारी होना प्रारंभ-कलेक्टर

सात दिन में अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर होगी कार्यवाही

दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया ऐसी दुकानों और आवासों जिनकी बिल्डिंग परमिशन ली गई है, लेकिन उस बिल्डिंग परमिशन में जो नक्शा पास हुआ है उससे परे जाकर, अधिक कंस्ट्रक्शन किया गया है, ऐसे लोगों के लिए आज से नोटिस जारी होना प्रारंभ हो गये है। यह नोटिस 7 दिन के लिये हैं, यदि 7 दिनों के भीतर उसकी कंपाउंडिंग नहीं करते हैं यानि उसका शासन के नियामानुसार अर्थदण्ड जमा नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में उन अतिक्रमणों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री कोचर ने बताया उच्च न्यायालय के इस संबंध में स्पष्ट आदेश है। उन्होंने कहा सभी से आग्रह है जिन लोगों को यह नोटिस मिल रहे हैं, वे इसकी कंपाउंडिंग की कार्रवाही 07 दिवस के भीतर समय रहते पूर्ण कर लें। यदि कंपाउंडिंग की कार्रवाई पूर्ण नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका द्वारा इन अतिक्रमणों को तोड़ने की कार्रवाई की जायेगी

मतगणना प्रशिक्षण आज

दमोह। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम ने कार्यालय प्रमुख नवोदय विद्यालय समिति हटा, केन्द्रीय विद्यालय हटा एवं श्री राघवेंद्र सिंह हजारी शासकीय महाविद्यालय हटा से कहा है अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु मतगणना कर्मी (गणना पर्यवेक्षेक, गणना सहायक एवं माइक्रो आब्जर्वर) का सामान्य प्रशिक्षण आज 16 मई को आयोजित किया गया है। मतगणना कर्मियों की निर्धारित सूची में यदि किसी शासकीय सेवक का स्थानांतरण, संलग्रीकरण जिले के अंतर्गत है, तो संबंधित को प्रशिक्षण की सूचना तामिल कराए साथ ही निलंबित एवं सेवानिवृत शासकीय सेवक के सूचना तामिल न कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराए।

स्वास्थ्य टीम को छापामार कार्यवाही में बंद मिली क्लीनिक

पटेरा। नगर में भले ही बीसों झोलाछाप डॉक्टर निजी क्लीनिक चला रहे हों पर स्वास्थ्य टीम को आकस्मिक छापामार कार्यवाही में उक्त क्लीनिक बंद पाई गई व साक्षीगणों ने बयान में कई दिनों से बंद होना बताया है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ अशोक बरोनिया के नेतृत्व में टीम ने नगर के पांच क्लीनिकों डॉ बंगाली, सदाकत खान ए के कुरैशी, एएस कुरैशी व आरिफ खान के क्लीनिक पर छापे मारे जो सभी बंद पाई गई।

स्थानीय साक्षीगणों ने पंचनामा तैयार करते समय बताया कि कई दिनों से बंद है। डॉ श्री बरोनिया ने बताया कि इनकी शिकायत न होने के बाद भी उनकी टीम द्वारा छापामार कार्यवाही की गई। पंचनामा प्रतिवेदन जिला स्वास्थ्य अधिकारी व प्रतिलिपि कलेक्टर महोदय को भेज दी गई है। श्री बरोनिया ने बताया कि यह कार्यवाही आकस्मिक छापेमार होती रहेगी। टीम में बीएमओ के साथ सत्यम नेमा अमित अहिरवार आदि कर्मचारी शामिल थे।

कुड़ई व कुम्हारी में शिकायतें पाई झूठ

पटेरा। फर्जी झोलाछाप के विरुद्ध कुम्हारी में प्राप्त शिकायत क्रमांक 2199 दिनांक 11मई 2024 के संबंध में खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ अशोक बरोनिया ने दल सहित जांच की तो शिकायत झूठ पाई पंचनामा प्रतिवेदन जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भेजा गया। जांच में तहसीलदार एस बी शर्मा, कुम्हारी पुलिस से एएसआई श्री मिश्रा व स्थानीय साक्षी शामिल थे। मोहित जैन व साक्षियों के कथनों शिकायत व रंजिशन झूठी व निराधार पाई गई। प्रतिवेदन जिला स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित किया गया।

कुड़ई में भी पाई शिकायत झूठी

पटेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉ अशोक कुमार बरोनिया को प्राप्त शिकायत क्रमांक 2068 दिनांक 6.05.24 की गई थी। 15 मई को टीम ने उक्त शिकायत की जांच की तो संबंधित अनिल प्यासी भारत माता मेडीकल स्टोर्स संचालित करता है जो बंद पाया गया। स्थानीय निवासियों पवन लोधी, मझले भाई मूरत सिंह ने अपने बयानों में संबंधित द्वारा कोई क्लीनिक संचालित नही करना बताया गया। इस टीम में श्री बरोनिया के साथ तहसीलदार पटेरा एस बी शर्मा थाना प्रभारी पटेरा अमित मिश्रा शामिल थे। बीएमओ ने प्रतिवेदन जिला स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित किया है।

आंगनबाड़ी केंद्र भवन घटिया निर्माण की भेंट चढ़ा

पथरिया। जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मारा के ग्राम छापरी सड़क में वर्ष 2013-14 आंगनबाड़ी केंद्र करीब 5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया जो करीब 4-5 वर्ष पहले बनाया गया जिसकी निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत थी। लेकिन सोचने वाली बात है इस भवन में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। जिससे भवन बनने के बाद से आज तक उपयोग नही किया गया। ना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा इसमें केंद्र का संचालन किया गया। जिससे भवन जर्जर हालत में हो गया जिसमें बाहर व अंदर से छपाई अपने आप निकल रही है। फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आज तक ध्यान नही दिया गया ना ही कोई कार्यवाही की गई।

15 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि पर सेन्ट नॉर्बर्ट स्कूल के प्राचार्य को सूचना पत्र जारी

दमोह। कलेक्टर एवं जिला समिति अध्यक्ष सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव एसके नेमा ने सेन्ट नॉर्बर्ट सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल के प्राचार्य को सूचना पत्र जारी कर 03 दिवस के भीतर कक्षा 7 वीं से 10 वीं तक 10 प्रतिशत से अधिक एवं 15 प्रतिशत तक फीस वृद्धि एवं कक्षा 02 से कक्षा 05 तक 15 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि के समुचित आधारों का उल्लेख करते हुये आवश्यक दस्तावेजों के साथ फीस वृद्धि के दस्तावेज मय आधार राज्य समिति को प्रेषित करने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों पर विनियमन) जिला समिति दमोह में प्रस्तुत करने निर्देशित किया है। जारी सूचना पत्र में कहा गया है कि यदि समय सीमा में अपना पक्ष रखने में विफल होते हैं तो विद्यालय के विरूद्ध मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों पर विनियमन) नियम 2020 के अंतर्गत एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये विद्यालय प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा। ज्ञातव्य है मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों पर विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के अनुसार 15 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि को विनियमित करने हेतु राज्य समिति को अधिकृत किया गया है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा विगत सत्र 2023-24 की फीस एवं सत्र 2024-25 हेतु प्रस्तावित वार्षिक फीस संरचना की जानकारी वेबसाइट लिंक http;//dpimp.in/ के माध्यम से प्रविष्ट की गई है । सत्र 2023-24 की फीस एवं सत्र 2024-25 हेतु प्रस्तावित वार्षिक फीस संरचना का तुलनात्मक अवलोकन करने पर कक्षा 02 में 15.12 प्रतिशत, कक्षा 03 में 15.12 प्रतिशत, कक्षा 04 दमें 15.12 प्रतिशत, कक्षा 05 वीं 15.12 प्रतिशत, कक्षा 7 वीं में 13.29 प्रतिशत, कक्षा 8 वीं में 13.29 प्रतिशत एवं कक्षा 10 वीं में 12.05 प्रतिशत से अधिक पायी गई।

पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार, जांच जारी

पीटपीट कर अधेड़ व्यक्ति की हत्या पांच लोगों पर हत्या का मामला दर्ज

मडियादो। मड़यिादो में एक 50 वर्षीय अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का घटनाक्रम सामने आया है। मृतक एक नाले के पास बेहोशी अवस्था में पड़ा मिला जिसे प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ले जाया गया जहां चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया । म्रतक शंकर आदिवासी की बाबा घाट नाले के पास अचेत अवस्था मे पड़े होने की सूचना पर पुलिस व परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मड़यिादो लेकर पँहुचे यंहा डाक्टरो ने म्रत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र महेश ने बताया की उसके मुहल्ले के एक परिवार के लोगो ने पीट पीट कर उसके पिता की हत्या की है। घटना की सूचना पर मड़यिादो थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे व पुलिस मौके पर पँहुची । म्रतक के परिजन गांव के ही एक ही परिवार के 5 लोगो पर नामजद हत्या के आरोप लगा रहे है। बताया जा रहा म्रतक व आरोपी पक्ष विज्जू आदिवासी में सुबह विवाद भी हुआ था जिसकी शिकायत विज्जु द्वारा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी इसी बीच थोड़ी देर बाद म्रतक के बाबा घाट के पास पड़े होने की सूचना परिजनों सहित पुलिस को मिली थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पंचानामा कार्यवाही कर मामले की जांच शुरू की है। परिजनों द्वारा लगाए गए हत्या के आरोप में दो लोगो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे ने बताया की मृतक की पत्नी और लड़के के कथनों पर 5 लोगो के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। दो आरोपियों विज्जू ओर उसके लड़के बद्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य को तलाश की जा रही है। हत्या किस वजह से की गई इसकी जांच की जा रही है।

नगर में तीन-तीन निर्यापकों का महामिलन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ दमोह

कुंडलपुर में आचार्य पदरोहण समारोह के लिए पधारे सभी मुनिगनों का विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रस्थान जारी है इसी क्रम में निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी का आगमन दमोह नगर में हुआ। नगर में पूर्व से विराजमान निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी एवं निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी के संघ सहित महा मिलन देखने का सौभाग्य भक्तगणों को प्राप्त हुआ। निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी के नगर आगमन की सूचना पाकर निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी एवं निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी वरिष्ठ होने के बावजूद निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी को लेने के लिए 2 किलोमीटर दूर धरम पुरा नाके के समीप पहुंचे। जहां पर मुनि संघ का

महामिलन हुआ। निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी ने गवासन से सड़क पर बैठकर निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को नमन किया उसके बाद भाव विभोर होकर मुनि संघ ने निर्यापक सुधा सागर जी की प्रदक्षिणा की। जयकारों के साथ पूरा माहौल धर्ममय हो गया उसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ मुनि संघ जैन धर्मशाला पहुंचा। स्थान स्थान पर मुनि संघ की आरती उतारी गई एवं पद परीक्षालन किया गया। अरिहंत विहार पर कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी के पूर्व अध्यक्ष संतोष सिंघई के परिवार ने पद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित किया इसके बाद हल्दी फार्म हाउस में मुनि श्री ने गौशाला को देखकर प्रशंसा की और अधिक गाय रखने का सुझाव दिया। दिगंबर जैन धर्मशाला में मुनि संघ के पद प्रक्षालन को सौभाग्य तहसीलदार मोहित जैन के परिवार को प्राप्त हुआ।

इनको मिला आहार दान का सौभाग्य- मुनि श्री सुधा सागर जी को आहार दान का सौभाग्य शैलेंद्र मयूर परिवार, मुनि श्री प्रसाद सागर जी को आहार दान का सौभाग्य ब्रह्मचारी स्वतंत्र भैया परिवार, मुनि श्री वीर सागर जी को आहार दान का सौभाग्य वीरेश सेठ परिवार, मुनि श्री पदम सागर आहार दान का सौभाग्य नवीन निराला परिवार एवं मुनि श्री शीतल सागर जी को को आहार दान का सौभाग्य शैलेंद्र बजाज परिवार, गंभीर सागर महाराज को और करने का सौभाग्य नेम चंद्र बजाज परिवार को प्राप्त हुआ।

वास्तविक जन्म गुरु के चरणों में होता है- मुनि श्री वीर सागर जी

दमोह । श्री पारसनाथ दिगंबर जैन नन्हे मंदिर धर्मशाला में बुधवार सुबह आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने कहा कि मां से तो मनुष्य का औपचारिक जन्म होता है किंतु वास्तविक जन्म तो गुरु के चरणों में होता है। गुरु ही हमें सिखाते हैं की आत्मा का विकास कैसे किया जाता है अध्यात्म और आगम की वाणी गुरु मुख से ही सीखने को प्राप्त होती है। आचार्य भगवान के पश्चात पूज्य नवाचार समय सागर जी महाराज ने

मुझे सब कुछ समझाया और इस तरह विकास होता गया। 2015 में राजस्थान में जब पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के साथ मुझे दो माह प्रवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उसमें मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। श्रद्धा कैसी होती है, समर्पण कैसा होता है, साधना कैसी होती है। यह सब कुछ निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज से बेहतर कोई नहीं समझा सकता शास्त्रों को पढ़ना अलग है और मोक्ष मार्ग में व्यावहारिक ज्ञान अलग होता है जीवन का उत्थान श्रद्धा और समर्पण के बिना कुछ भी नहीं इसकी सही परिभाषा निर्यापक सुधा सागर जी महाराज के चरणों में ही प्राप्त होती है। निश्चिंत्यता एवं निर्भयता उनके चरणों में सीखने को मिलती है। निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज ने कहा की जब टीम संगठित होती है तभी हमें विजय प्राप्त होती है गुरु देव के जाने के बाद हम सबको संगठित होकर ही धर्म प्रभावना के कार्य में संलग्न रहना चाहिए। सभा के अंत में निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि महापुरुषों की व्यथा हमारे लिए कथा बन जाती है महापुरुषों की अशुभ कर्मों की लीला व्यथा के रूप में हमारे समक्ष होती है और वह कथा के रूप में जिनवाणी के रूप में पूज्य हो जाती है तीर्थंकर जब मुनिराज बनते हैं तो आत्मा के संबंध में कुछ नहीं जानते किंतु श्रद्धा और आस्था के बल पर एक दिन मोक्ष महल को प्राप्त कर लेते हैं हमारे ऊपर गुरु का बहुत उपकार है किंतु सिद्धि नहीं हो रही है णमोकार मंत्र प्राप्त होना अलग बात है किंतु उसकी सिद्धि होना बात अलग है मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान को सिद्ध कर लिया था उसका फल उसको प्राप्त हुआ श्रावक जब मुनिराज को इस उद्देश्य से आहार देता है की महाराज की सामायएक अच्छी हो स्वाध्याय अच्छा हो तो आहार की की सिद्धि हो जाती है ।

गौशाला अध्यक्ष संजय जैन अहिंसा महावीर चक्र से सम्मानित

तेंदूखेड़ा। नगर में संचालित आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला के अध्यक्ष संजय कुमार जैन को दमोह में आयोजित अहिंसा अलंकरण कार्यक्रम में अहिंसा महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।सोमवार को दमोह के नन्हें मंदिर में विराजमान निर्यापक श्रमण पुवंग मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी शाकाहार उपासना परिसंघ के द्वारा अहिंसा अलंकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिवर्ष अहिंसा एवं शाकाहार तथा धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष इस वर्ष अहिंसा एवं शाकाहार के क्षेत्र में गौशाला अध्यक्ष तेंदूखेड़ा संजय कुमार जैन को अहिंसा महावीर चक्र से सम्मानित किया गया एवं एवं दमोह के दानवीर संजय जैन अरिहंत को धर्म महावीर चक्र से पुरस्कृत किया गया। संस्था द्वारा यह कार्यक्रम विगत 30 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है जिसमें प्रतिवर्ष दो पुरस्कार दिए जाते हैं इसके पूर्व यह पुरस्कार देश के जाने-माने जैन समाज के भारतवर्ष के भामाशाह अशोक पाटनी , प्रभात मुंबई, कुंडल के ऊपर के पूर्व अध्यक्ष संतोष सिंघल कुंडलपुर कार्यक्रम के संयोजक वीरेश सेठ को सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम में कार्यक्रम में गौशाला परिवार से अध्यक्ष संजय कुमार जैन के अलावा अमरचंद जैन, विजय कुमार पप्पू जैन सत्येंद्र कुमार जैन एवं विदित सिंह तोमर मौजूद रहे।